

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश/UTTAR PRADESH

B 7958

(11)

प्रथम पक्ष को अपनी उपरोक्त कृषि भूमि को विक्रय करने अथवा बंधक करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है।

Handwritten signature/initials.



Handwritten signature.



भारतीय नैरन्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 79

(12)

प्रथम पक्ष की उपरोक्त कृषि भूमि क्रय की हुई है, गाटा सं०-376 की रजिस्ट्री प्रथम पक्ष के नाम उपनिबन्धक कार्यालय पुवार्यो जनपद शाहजहॉपुर में पुस्तक सं०-1, खण्ड-5608 के पृष्ठ-261/282, दस्तावेज नं०-3311/13 दिनांक

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



40



B 7

(13)

20.03.2013 गाटा सं0-378मि0 व 383मि0 की रजिस्ट्री प्रथम पक्ष के नाम उपनिबन्धक कार्यालय पुवार्यो जनपद शाहजहॉपुर में पुस्तक सं0-1, खण्ड-5612 के पृष्ठ-69/98, क्रम सं0-3431 दिनांक 22.03.2013 को हुई है।

Handwritten signature and a fingerprint.

Handwritten signature and a fingerprint.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEE

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 79

(14)

भूमि निर्विवाद है। प्रथम पक्ष ने अपने स्वस्थ मन व चित्त से वगैर किसी जोर दबाव या भय के निजी आवश्यकता अनुसार अपनी भूमि को कुल 9018000/-रु0 (नब्बे लाख अठारह हजार रु0) में द्वितीय पक्ष बजाज एनर्जी प्रा0लि0, मकसूदापुर

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEE



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 7'

(15)

(शाहजहाँपुर) रजिस्टर्ड एवं कार्पोरेट आफिस-बजाज भवन, बी-10 सेक्टर-3 जमनालाल बजाज मार्ग, नोएडा-201301 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अतीक अहमद पुत्र श्री सईद अहमद, डिप्टी मैनेजर (एच.आर./एडमिन), बजाज एनर्जी प्रा० लि०, मकसूदापुर (शाहजहाँपुर) को विक्रय कर दिया है



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

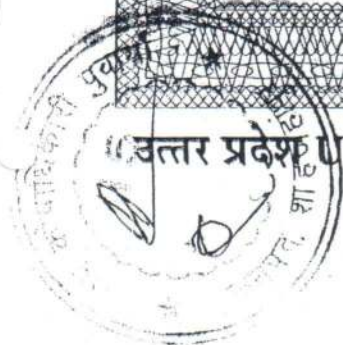
रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 795

(16)

तथा प्रथम पक्ष-विक्रेता ने अपना समस्त विक्रय धन क्रेता से निम्न विवरण के अनुसार प्राप्त कर लिया है।

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 79

(17)

अब प्रथम पक्ष का विक्रीत भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है।

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 79!

(18)

विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष ने स्वयं कब्जा द्वितीयपक्ष-क्रेता को आज तारीख बैनामा से दे दिया है। द्वितीय पक्ष-क्रेता विक्रीत भूमि के पूर्ण रूप से मालिक व काविज हो गये हैं।



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



25000
Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 7951

(19)

अगर कोई दावेदार भविष्य में विक्रीत भूमि की बावत कोई दावा दायर करे तो वह पूर्ण रूप से अवैधानिक होगा।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPE

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 7

(20)

यदि प्रथम पक्ष-विक्रेता के स्वत्व दोष के कारण विक्रीत भूमि का कुछ अथवा कुल हिस्सा निकल जावे या द्वितीय पक्ष-क्रेता को कोई धन अदा करना पड़े, तो द्वितीय